...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11/09/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने धारित भूमि ग्राम मोरी के खसरा नंबर 21 रकबा 0.29 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिये रास्ता नही होने से ग्राम मोरी के खसरा नंबर 20 रकबा 36.88 हैक्टर में से नया रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया है। खसरा नंबर 20 की भूमि गैर मुमकिन गोचर दर्ज होने से सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर गोचर की भूमि में से रास्ता ग्राम पंचायत की बैठक में विचार विमर्श के पश्चात पारित निर्णय से ही तय हो पायेगा। इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–3 विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांकः–प0 2(151)राज– 3 /2022 जयपुर दिनांक 03.02.2023 में वर्णित निर्देशों के अनुसार निजी खातेदार को संपरिवर्तन के लिये आवश्यक पहुंच मार्ग हेतु चारागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस आशय के निर्देश जिला कलेक्टर सीकर को प्रदान किये हैं जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र भी गोचर भूमि में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं होने से खारिज किया जाता हैं न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन् सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner